

पंजीकृत

प्रेषक,

राज्य लोक सूचना अधिकारी-कम उप निदेशक (पी एण्ड आई)  
कार्यालय निदेशक, ई.एस.आई स्वास्थ्य संरक्षण, हरियाणा,  
एस.सी.ओ 803, एन.ए.सी, मनीमाजरा, चण्डीगढ़।

सेवा में,

Sh. Ajay Kumar Bahal, EK Sangharsh,  
Sector-9, House NO. 1669,  
Faridabad-121006

यादि क्रमांक 6/1(374)-ई.एस.आई-आर.टी.आई.-3जी-2016/  
दिनांक

**विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने बारे।**

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र दिनांक शून्य (निदेशालय में प्राप्ति तिथि 12.08.16) के सन्दर्भ में।  
आप द्वारा मांगी गई सूचना निदेशालय में उपलब्ध शाखा के रिकार्ड अनुसार आपको प्रेषित की  
जाती है।

विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना से सहमत ना होने की स्थिति में आप प्रथम अपीलिएट  
अथोरिटी-कम-निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण, हरियाणा, एस.सी.ओ 803, एन.ए.सी, मनीमाजरा,  
चण्डीगढ़ को अपील कर सकते हैं।

संलग्न:- 01 पेज।

*SD*  
सहायक राज्य जन सूचना अधिकारी-कम-चिकित्सा निरीक्षक  
कार्यालय निदेशालय, ई0एस0आई0 हैल्थ केयर, हरियाणा।

पृ0 क्रमांक: 6/1(374)- आर0टी0आई0-जी-3-2016/

दिनांक

इसकी एक प्रति राज्य जन सूचना अधिकारी-कम-संयुक्त श्रम आयुक्त, कार्यालय श्रम आयुक्त,  
हरियाणा, 30 बेज बिल्डिंग, सैक्टर-17, चण्डीगढ़ को उनके पत्र क्रमांक 30197, दिनांक 01.08.2016 के संदर्भ में  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न: 01 पेज

*SD*  
सहायक राज्य जन सूचना अधिकारी-कम-चिकित्सा निरीक्षक  
कार्यालय निदेशालय, ई0एस0आई0 हैल्थ केयर, हरियाणा।

पृ0 क्रमांक: 6/1(374)- आर0टी0आई0-जी-3-2016/ 9886

दिनांक 2/9/16

इसकी एक प्रति प्रोग्रामर को कार्यालय की वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित की जाती है।

संलग्न: 01 पेज

*SD*  
सहायक राज्य जन सूचना अधिकारी-कम-चिकित्सा निरीक्षक  
कार्यालय निदेशालय, ई0एस0आई0 हैल्थ केयर, हरियाणा।

01/09/16

31/8/16

विषय :-

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने बारे- श्री अजय कुमार बहल,

क्या राज्य जन सूचना अधिकारी-कम-उप निदेशक (पी0 एण्ड आई0) अपने अशा0 पत्र

कमांक 8833 दिनांक 17.8.2016 की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे ?

विषयधीन मामले श्री अजय कुमार बहल, एक संघर्ष सैक्टर-9 मकान नं9 1669 फरीदाबाद, द्वारा मांगी गई सूचना तैयार करके आपको आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

क्र0सं	मांगी गई सूचना	विभाग द्वारा दी जाने वाली सूचना
(i)	Please provide detailed information with respect to Formation of Rules for Doctors in ESI Health Care Haryana including those for their career advancement.	विभाग के नियम बनाने का मामला विचाराधीन है।
(ii)	Please provide the details and Name of the Competent Authority responsible for formation of such Rules.	नियम निदेशालय स्तर पर बनाये जाते हैं। जिनका अनुमोदन माननीय प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, श्रम विभाग के माध्यम से कैबिनेट से करवाया जाता है।
(iii)	Certified copy of Convening Order/Constitution of Committee for framing such Rules may please be provided along with certified copies of noting sheets and other communication.	कमेटी गठित करने का मामला अभी विचाराधीन है तथा मामले में अन्तिम निर्णय आपेक्षित है।
(iv)	Please provide details of date from which such rules have been framed and implemented by the Government/Department since the creation of the separate cadre in year 2006.	विभाग के अलग कैडर गठन उपरान्त अभी तक विभागीय सेवा नियम नहीं बनाये गये हैं।
(v)	Please provide details if there has been any delay in framing of such rules.	सेवा नियम बनाने बारे कोई तिथि निर्धारित नहीं है। नियम बनाने बारे मामला विचाराधीन है यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो लगातार जारी है।
(vi)	Please provide details of administrative action that has been taken against the Official s responsible for framing these rules for delay, if any	इस मामले में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है इसलिए मामले में किसी प्रकार की देरी नहीं हुई। इसलिए इस बारे किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई प्रशासनिक कार्यवाही नहीं बनती है।
(vii)	If no action has been taken, the reason thereof strictly as per the provisions of Section 4 (1) (d) of RTI Act 2005.	मामले में देरी नहीं हुई है, यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो जारी है।
(viii)	Please provide details if Commissioner has reconstituted the committee for framing of the rules for the Class I Officers of the ESI Health Care. Certified copy of Convening/Constitution orders may please also be provided.	ई0एस0आई0 स्वास्थ्य संरक्षण विभाग के श्रेणी-1 अधिकारियों के सेवा नियम Framing हेतु कमेटी गठित करने का मामला सरकार के पास विचाराधीन है।
(ix)	Please provide details of date on which Department has sent the case file to Government for framing of the Rules along with certified copies of file notings in the above said case file.	कार्यालय के पत्र कमांक 567 दिनांक 5.12.2014 द्वारा नियम बनाकर सरकार को भेजे गये थे जिसमें कुछ त्रुटियां थीं लेकिन अब सरकार ने बताया है कि जो नियम बनाने की कमेटी गठित की जाएगी उसके फैसले अनुसार ही पुनः नियम बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा।

सेवा में,

राज्य जन सूचना अधिकारी-कम-उप निदेशक (पी0 एण्ड आई0)।

31/8/16  
डीमड एस0पी0आई0ओ0  
-कम-उप निदेशक-1  
31/8/16

अशा पत्र कमांक 21/132-ई एस आई-स्था-1-3-2016/1047

दिनांक 31-8-16